Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों पर मिड डे मील कार्यक्रम के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी

Ashish Jyotishi[1]*, Dr. Yuti Singh[2]

[1] Research Scholar, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat.

[2] Associate Professor, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat.

सार - प्राथमिक शिक्षा किसी भी शैक्षिक भवन की नींव होती है। शिक्षा का संबंध केवल व्यक्ति से ही नहीं पूरे समाज से है। सभी सभ्य समाजों ने इसे अनिवार्य कर दिया। माध्यमिक शिक्षा विकास का सूचक है। माध्यमिक शिक्षा अध्ययन का एक अंतःविषय क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों से शैक्षिक अनुसंधान में योगदान में वृद्धि हुई है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में सीमित शोध विशेष रूप से स्कूल में चल रही योजना के मूल्यांकन पर शिक्षा विभाग के बाहर लिया जाता है। इस अध्ययन में, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन, ड्रॉपआउट, प्रतिधारण और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना संभावनाओं और चुनौतियों दोनों के लिए लाया (सीएसएस) है। जब कोई योजना शुरू की गई, तो प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की शिकायतें अक्सर सुनी जाती हैं। चूंकि ये चुनौतियाँ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनमें योजनाओं की प्रभावशीलता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा डालने की बहुत अधिक क्षमता है, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना का सही ढंग से मूल्यांकन और परिशोधन करना होगा।उपयुक्त, सक्रिय और भरोसेमंद स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अधिमानतः महिला स्वयं सहायता समूह, जहां भी उपलब्ध हो, को स्कूल के निरीक्षकों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत एमडीएम कार्यक्रम चलाने के लिए लगाया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द - नामांकन एशैक्षिक

----------X----------

प्रस्तावना

वर्तमान युग वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांतियों की उपज है। राष्ट्र दूसरों पर वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह सर्वोच्चता सैन्य शक्ति या सामूहिक विनाश के हथियारों के कब्जे तक ही सीमित नहीं है , बल्कि जानकारी प्राप्त करने और नई जानकारी बनाने से एक राष्ट्र दूसरों पर बढ़त बना सकता है। शिक्षा की एक सुदृढ़ प्रणाली के बिना सूचना प्राप्त करने वाले और सूचना उत्पन्न करने वाले समाजों की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा एक प्रगतिशील राष्ट्र की रीढ़ है। यह राष्ट्र को एक संतुलित आहार प्रदान करता है जिसमें आवश्यक तत्व होते हैं। एक राष्ट्र जो शिक्षित नहीं है वह पिछड़ा रहता है। शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य तत्व है जो जन्म से शुरू होता है और जीवन भर औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से जारी रहता है। शिक्षा एक व्यक्ति को गुण प्राप्त करने और एक सच्चा इंसान बनने में सक्षम बनाती है। शिक्षा एक व्यक्ति को अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के एक पूल की ओर खींचने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यक्ति को गरीबी और दुख से उबरने में मदद करती है और यह व्यक्ति को सामाजिक , शारीरिक रूप से मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करके समृद्धि और खुशी की ओर ले जाती है। शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक घटक और साधन दोनों है श्री के पंत पूर्व शिक्षा मंत्री ने .सी.1985 में राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सभी पुरुषों और महिलाओं

www.ignited.in

और प्रत्येक बच्चे को ज्ञान कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो विकास को बढ़ावा देते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कार्यान्वित योजना से पहले चयनित स्कूलों में छात्रों के नामांकन और छोड़ने की दर का आकलन करने के लिए।
2. छात्रों की उपलब्धि पर मिड डे भोजन योजना के प्रभाव का आकलन करना।

प्राथमिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के विकास की नींव है एवं छात्रों के भविष्य निर्धारण में महत्वपूर्णभूमिका का निर्वहन करती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिकएवं उच्च प्राथमिक शिक्षा हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। इसके अतिरिक्त बच्चों में जीवनकौशलों के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता एक प्रमुख लक्ष्य है , जिसकी सम्प्राप्ति की दिशामें अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मेंशिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के नामांकन में वृद्धि , विद्यालय में उनकी उपस्थिति को बढ़ाने एवं उनकेपोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकारके समवेत प्रयासों से फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित की जा रही है।

शैक्षिक सीढ़ी में , प्राथमिक शिक्षा जन साक्षरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उच्च शिक्षा के लिए एक ठोस आधारशिला प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा वह चरण है जब बच्चे के समग्र विकास की नींव रखी जाती है या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारशिला का काम करती है।

जिस भवन की नींव मजबूत न हो, वह समय की गड़गड़ाहट से नहीं बच सकता। यदि प्राथमिक स्तर पर किसी बच्चे की उचित देखभाल की जाए तो उसकी आगे की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण अधिरचना का आधार है। प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रिया समग्र रूप से किसी देश की सामान्य , सामाजिक और आर्थिक प्रगति का सूचकांक है। भारतीय संविधान अधिनियम)45) के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य सभी बच्चों के लिए चैदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से है।

सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन , इंग्लैंड)1966) ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार बताए हैं -

एक स्पष्ट उद्देश्य बच्चों को उस समाज में फिट करना है जिसमें वे बड़े होंगे। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए यह भविष्यवाणी करना आवश्यक है कि वह समाज कैसा होगा। यह निश्चित रूप से तेजी से और दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन द्वारा चिह्नित एक होगा यह बहुसंख्यकों से समृद्ध होने की संभावना है और सभी लोगों के लिए अधिक अवकाश के साथ अपने व्यवसायों को बदलने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि एनसीईआरटी)1970) द्वारा दिया गया है , हिंदुस्तानी तालमिनी संघ ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित चार उद्देश्य निर्धारित किए हैं।

1. भारत में सभी लड़कों और लड़कियों को नई तालमिनी संघ द्वारा परिकल्पित सहकारी कार्य के आधार पर एक नई सामाजिक व्यवस्था के नागरिक के रूप में विकसित होना चाहिए और ऐसे समाज में अपने अधिकारों की जिम्मेदारियों और दायित्वों की समझ के साथ विकसित होना चाहिए।
2. प्रत्येक व्यक्ति के पास संतुलित और के लिए पूर्ण अवसर होना चाहिए।
3. उसकी सभी सुविधाओं का सामंजस्यपूर्ण विकास।
4. प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ, स्वस्थ और सुसंस्कृत और के पहलुओं में आत्मनिर्भरता की क्षमता हासिल करनी चाहिए।
5. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सामाजिक और नैतिक निहितार्थों को समझना चाहिए।

ये उद्देश्य नागरिकता प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ बच्चों के सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विकास को दर्शाते हैं। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बहु आधारित हैं।-आयामी और व्यापक- चूंकि प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के संपूर्ण अधिरचना की आधारशिला है, उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य से सभी उद्देश्य कुछ हद तक इसमें परिलक्षित और प्रतीक हैं। इन सभी उद्देश्यों के माध्यम से व्यक्तिगत व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित और पोषित करने की उम्मीद की जाती है। मानसिक शारीरिक , सामाजिक सौंदर्य और नैतिक विकास सभी का सबसे मौलिक उद्देश्य है और एक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा

www.ignited.in

के माध्यम से क्षेत्रीय राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय-संबंधों से परिचित और अभ्यस्त होना पड़ता है।

प्राथमिक विद्यालय व्यक्ति को इन सभी सीखने के अनुभवों के लिए पर्याप्त वातावरण प्रदान करता है और मीडिया और सामग्री को उसकी क्षमता और क्षमताओं के अनुसार अपनाता है। चूंकि बच्चे को स्कूल मशीनरी में एक दल नहीं बनाया जाना है , बल्कि एक रचनात्मक शक्ति एक सक्षम और उत्पादक नागरिक और एक महत्वपूर्ण वयस्क अपनी अनूठी प्रतिभा और गुप्त क्षमता के साथ प्राथमिक शिक्षा सभी आवश्यक गुणों के विकास का स्रोत नहीं हो सकती है।

बच्चे को संतुलित और परस्पर वयस्क बनाने के लिए सभी सीखने के अनुभवों का स्रोत केवल प्राथमिक विद्यालय नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन यानी प्राथमिक शिक्षा ही भविष्य की सभी शिक्षा का आधार है। इसलिए इस पर भरपूर जोर देने की जरूरत है। स्वतंत्रता के बाद के युग में विशेष रूप से जब 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को उनके संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था , भारत ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के मूल के रूप में देखा है।

कोठारी आयोग)1966) ने कहा है , ष्लेकिन पर्याप्त संसाधनों की कमी, जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि, लड़कियों की शिक्षा का प्रतिरोध, पिछड़े वर्ग के बच्चों की बड़ी संख्या, लोगों की सामान्य गरीबी जैसी भारी कठिनाइयों को देखते हुए, और निरक्षरता उदासीन है , प्राथमिक शिक्षा में पर्याप्त प्रगति करना संभव नहीं था और संवैधानिक निर्देश अधूरे रह गए हैं।

1. स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी

उपयुक्त, सक्रिय और भरोसेमंद स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अधिमानतः महिला स्वयं सहायता समूह , जहां भी उपलब्ध हो , को स्कूल के निरीक्षकों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत एमडीएम कार्यक्रम चलाने के लिए लगाया जाना चाहिए। एक स्कूल के लिए एसएचजी नियुक्त करते समय, स्कूल के निरीक्षक को अनिवार्य रूप से संबंधित गोवा पंचायतध्ग्राम समिति नगर पंचायत से परामर्श करना चाहिए। एसएचजी के चयन के बाद , स्कूल निरीक्षक औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करेगा जिसमें विस्तृत नियम और शर्तों को दर्शाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा निदेशक को सूचित किया जाएगा। नियम और शर्तों में , अन्य बातों के साथ साथ-, विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होने चाहिए-

- उचित मूल्य की दुकानों से चावल उठाना और अंडे , सब्जियां, अन्य मसालों और जलाऊ लकड़ीध्गैस आदि की खरीद स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाएगी।
- स्कूल परिसर में चावल , सब्जी, नमक, दाल आदि का भंडारण एचएमध् प्रभारी शिक्षक दोनों द्वारा रखी जाने वाली स्टॉक बुक्स में उचित प्रविष्टि के बाद ही किया जाएगा। एचएमध्टीसी द्वारा आवश्यक चावल, सब्जियां, नमक, दाल आदि की डिलीवरी मिड मील पकाने के लिए दैनिक-डे- आधार पर एसएचजी को की जाएगी।
- स्कूल के एचएमध्टीसी सप्ताह के लिए आवश्यक निधि की गणना के बाद साप्ताहिक आधार पर स्वयं सहायता समूह को खाना पकाने की लागत का अग्रिम भुगतान ले सकते हैं। एसएचजी सप्ताह के दौरान आवश्यक व्यय करने के बाद शेष राशि को दर्शाने के बाद एचएमध्टीसी को प्रासंगिक वाउचर प्रस्तुत करेगा।
- यदि कार्यक्रम को चलाने में किसी भ्रष्ट आचरण का पता चलता है , तो एसएचजी से संबंधित नियुक्ति आदेश को स्कूल निरीक्षक द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए। वैकल्पिक एसएचजी को 10 (दस दिनों के भीतर चुना (जाना चाहिए।

2. माताओं की भागीदारी

2(दो- बारी से माताओं को विद्यालय में मध्याह्न-बारी (भोजन की तैयारी और परोसने के दौरान प्रतिदिन उपस्थित रहना चाहिए और वे यह भी देखेंगी कि क्यारू-

- बर्तन साफ सुथरे रखे जाते हैं।
- चावल, दाल, सब्जियां आदि पकाने से पहले अच्छी तरह धो लें।
- एमडीएम बनाते समय चावल और अन्य मसालों का प्रयोग आवश्यक अनुपात में किया जाता है।
- बच्चों के नाखून काटे जाते हैं।
- खाने से पहले और बाद में क्या उनके हाथ और पौधे अच्छी तरह से धोए गए हैं।
- बच्चों को मिडमील की पूरी मात्रा दी जाती है।-डे-
- बना खाना पौष्टिक है या नहीं।

3. स्वच्छता

किचन और डाइनिंग प्लेस को साफ सुथरा रखना चाहिए।- सहायकों को खाना बनाते समय अपने-सह- सभी रसोइया सिर को कपड़े या टोपीध्दुपट्टे से ढक कर रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रदूषणध्खाद्य विषाक्तता आदि से बचने के लिए रसोई और खाने की जगह में सख्ती से सफाई बनाए रखनी चाहिए।

4. रसोइयों का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण

जिला विकास अधिकारीध्क्षेत्रीय विकास अधिकारीध्विद्यालयों के निरीक्षकों को स्वास्थ्य विभाग के एसडीएमओ की सहायता से वर्ष में कम से कम एक बार उप मंडल- स्तरध्ब्लॉक स्तर पर रसोइयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

5. केवल आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग

एमडीएम और स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करने वाले सभी प्रधान शिक्षकों को सीलबंद पैकेटों में निहित ब्रांडेड गुणवत्ता के केवल आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए , जिसे निकटतम उचित मूल्य की दुकान या खुले बाजार से खरीदा जा सकता है।

6. मेनू चार्ट का प्रदर्शन

सभी विद्यालयों को दैनिक मेनू चार्ट को प्रधानाध्यापक के कार्यालय कक्ष के बाहर या विद्यालय परिसर के भीतर किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि छात्रों और माता पिताध्अभिभावकों को- विधिवत सूचित किया जा सके।

7. प्रदर्शन बोर्ड

सभी स्कूलों को एसएसए के डिस्प्ले बोर्ड में एमडीएम फंड की प्राप्ति और व्यय का प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए।

8. शिक्षकों की भूमिका

मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षकों को पकाये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन अवश्य करना चाहिए। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे भोजन करते समय अनुशासन बनाए रखें और एक विशिष्ट स्थान पर बैठें। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन में धर्म , जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

9. हेड मास्टर की भूमिका

विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार एमडीएम निधि एवं- जोखा रखने तथा विद्यालय में- खाद्यान्न का विस्तृत लेखा एमडीएम कार्यक्रम का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे।

10. जिलाध्उपखण्ड अनुश्रवण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन

डीईओ और स्कूलों के निरीक्षक को जिला स्तर ध् उप मंडल- निगरानी की नियमित रूप से बैठकें-सह- स्तर की संचालन आयोजित करना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें जिला परिषदोंध्पंचायत समितियोंध्बीएसी की बैठक में भी नियमित रूप से भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन मंचों पर एमडीएम पर चर्चा और समीक्षा की जाए।

11. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करने के लिए यह एक विशेष जोर और एक नई पहल है। कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के विकास का एक समग्र दृष्टिकोण लेता है और सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकृत प्रबंधन , भागीदारी प्रक्रिया, सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ जिला विशिष्ट योजना के माध्यम से यूईई- की रणनीति को संचालित करने का प्रयास करता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन की इकाइयां दो मानदंडों के आधार पर चुने गए जिले हैं राष्ट्रीय औसत से नीचे महिला (पु) ऐसे (पप) साक्षरता वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलेय और सफल रहे हैं (टीएलसी) जिले जहां टोटल लिटरेसी चैंपियन और इससे प्रारंभिक शिक्षा की मांग बढ़ी है। 1994 में सात राज्यों के 42 जिलों में शुरू किया गया यह कार्यक्रम आखिरकार 13 राज्यों के कुल 122 जिलों को कवर कर चुका है।

विभिन्न मूल्यांकन और इस तरह के अन्य अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। कार्यक्रम ने शिक्षा की पहुंच , प्रतिधारण और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई नवीन और व्यावहारिक हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

12. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

www.ignited.in

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रणाली में सामुदायिक स्वामित्व पैदा करके प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक प्रयास है। यह पूरे देश में बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिक्रिया है। एसएसए कार्यक्रम मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं में सुधार का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास भी है। मूल रूप से एसएसए का अर्थ है।

- सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा वाला कार्यक्रम
- पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांगों का जवाब
- बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर

प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायत राज संस्थाओं , स्कूल प्रबंधन समितियों, गांव और शहरी स्लम स्तर की शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक संघों-, मातृ शिक्षक संघों , आदिवासी स्वायत्त परिषदों और कई अन्य जमीनी स्तर की संरचनाओं को प्रभावी ढंग से शामिल करने का प्रयास स्कूलय

- देश भर में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति
- प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र , राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच साझेदारी

निष्कर्ष

शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को शारीरिक , मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार और विकसित करना है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक दक्षताओं और कौशलों को प्राप्त कर सकता है। 93वें संविधान संशोधन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद)21ए ।(प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चार महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की गई है। वे एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन और अचीवमेंट हैं। जिले में माध्यमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों की कुल जनसंख्या 366163 है, इनमें लड़कों की संख्या 187798 और लड़कियों की संख्या 177896 है। जिले में 6-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर 56.13 है, जिनमें लड़के 68.38 और लड़कियां 43.34 हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर 44.48 है, लड़कों में 55.9 और लड़कियों की साक्षरता दर 32.48 है। एसटी वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर 44.52, लड़कों में 57.22 और लड़कियों की साक्षरता दर 30.89 है। कुल विद्यालयों अर्थात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को मिलाकर 1677 है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. ज्योत्सना जैन)2015) मध्य प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना और मध्याह्न भोजन, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 26 नवम्बर 2005.
2. श्रीमती वीनुजे)2021) ष्आदिवासी शिक्षा और जीवन की गुणवत्तारू मुद्दे और चुनौतियांष् संशोधन प्राप्तरू 22 फरवरी, 2021; स्वीकृतरू 10 मार्च, 2021
3. जेम्स बेरी)2020) श्स्कूल आधारित स्वास्थ्य- भाड़रू भारत के मध्याह्न- हस्तक्षेपों में भीड़ भोजन कार्यक्रम के साक्ष्यश्, जेईएल कोडरू व्15 प्18 भ्40.
4. राजश्री जयरामन)2014) श्प्राथमिक विद्यालय पर विद्यालय के मध्याह्न भोजन का प्रभावश् भारत की मध्याह्न भोजन योजना के साक्ष्य , अनुदान जेए 1675/2-1।
5. मोहम्मद जुबैर कालेस)2014) श्मध्याह्न भोजन योजनारू जिला जम्मू के विभिन्न स्कूलों का एक अध्ययनश्, जूनजुलाई-, 2014। वॉल्यूम। मैंचतुर्थ/
6. फॉल)2012) ष्ए प्लेस फॉर द ग्रासरूट्सष्ू एक्सीमिनिंग द रोल ऑफ़ लखनऊ जिला , उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन प्रदान करने में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन ष्)2012)। स्वतंत्र अध्ययन परियोजना संग्रह। (आईएसपी)
7. करबी डेका)2021) श्इम्पैक्ट ऑफ़ मिड डे मील- प्रोग्राम ऑन अटेंडेंस ऑफ़ (एमडीएम) प्राइमरी स्कूलश् चिल्ड्रेन इन रानी एरिया ऑफ़ काम रूप® डिस्ट्रिक्ट, असम, जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वॉल्यूम 9 ः अंक 7 (2021) पीपीरू 04 -09.
8. त्रिपुरारी कुमार)2018) श्झारखंड के चतरा जिले में मध्याह्न भोजन योजनाश् का मूल्यांकन , 5, पृ .412 - 418.

9. चेतना और अर्चना प्रभात)2018) श्मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का स्कूली बच्चों के पोषण स्तर पर प्रभावश्, वॉल्यूम। 8, अंक 5, अक्टूबर 2018, 37-46.
10. ए जोगलेकर)2015) श्स्कूल जाने वाले बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभावश्रू छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के संदर्भ में। रायपुर (.ग.छ)492001, भारत
11. वजीर सिंह धनखड़)2015) श्हरियाणा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय श्मध्याह्न भोजनश् कार्यक्रम का मूल्यांकन,श् खंड। 4 द्य नंबर 5 द्य मई 2015.
12. डॉ) अख्तर हुसैन .2018) श्कार्यक्रम के मध्याह्न भोजन का मूल्यांकन पर प्रभावरू मुर्शिदाबाद ,श् पश्चिम बंगाल के नबाग्राम ब्लॉक का एक केस स्टडी, खंड -8 द्य निर्गम -2 द्य नवंबर-2018।

Corresponding Author

Ashish Jyotishi*

Research Scholar, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat

www.ignited.in